

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-731) अलेसे-1/1396-1400

दिनांक:- 19/12/25

आदेश

आदेश क्रमांक एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि.लेखाकार/अलेसे-111/2020/5395 दिनांक 29.04.2020 द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश के क्रम संख्या 03 पर अंकित श्री राजकुमार स्वामी, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार (हाल सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1) (लिंक नं0 1556) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.08.2020 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, जिसके क्रम में वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री स्वामी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

[Signature]
(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-731) अलेसे-1/1396-1400
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 19/12/25

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेल्फेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
3. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
5. श्री राजकुमार स्वामी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (सेवानिवृत्त) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर

[Signature]
(लखपत मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)